रजि. सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

28/2/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 1989/अग्रहायण 16, 1911
No. 159] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 1989/AGRAHAYANA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1989

सा. आ. 260(अ) :— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि उसकी तारीख 18 अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना सं. 434/बिहार/89 (2) में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ 2 में—मद 36 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्

"उप कलक्टर, प्रभारी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, भोजपुर जिला", प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[सं. 434/बिहार/89 (2)]

आदेश,

एस. डी. प्रशाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1989

O.N. 260(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its notification No. 434|BR|89 (2), dated 18th October, 1989, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification—

after the existing entries against item 36, the entry "Deputy Collector, incharge, 20 Point Programme, Bhojpur District" shall be added.

[No. 434|BR|89(2)

By Order,

S. D. PERSHAD, Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989